प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा,मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजंहापुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम(जिला योजना-एस0सी0पी0) हेतु अनुदान। (**अनुदान सं0-83**)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-458/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-एससीपी/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-11/2020/ 615/53-2-20-2(38)/15, दिनांक 24अगस्त,2020 द्वारा रू0 69.36लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष रू0 69.36 लाख (रूपये उन्हतर लाख छतीस हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानको के अनुसार किया जायेगा।

(5) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

.....2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/ पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(8) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ऑकडो के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(11) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघो के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(14) गत वित्तीय वर्ष 2018-19 व 19-20 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**''2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक- 24 मार्च, 2020 के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

....3/

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 19/2020 / 1177(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महा लेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
16- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
17- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ को उनके पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।